International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
May-June- 2020, Volume-7, Issue-3
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

गांधी जी सनातन परंपरा के दार्शनिक

डॉ राजकमल मिश्रा

महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी ,जयपुर

सार

गांधी जी कहते हैं; हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु धर्म है और सहिष्णुता का प्रमाण ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम जैसे विभिन्न धर्मों की स्वीकृति में निहित है, जिन्होंने बहुत बाद में धरती पर अपने पैर जमाए। गांधी जी को ज्ञात हिंदू धर्म, सहिष्णु और समावेशी है। गांधी जी तुलसीदास को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि " *धर्म की जड़ दया में निहित है जबकि अहंकार शरीर के प्रेम में निहित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी दया का त्याग नहीं करना चाहिए* । " गांधी जी का मानना था कि धर्म का एक आवश्यक गुण दया है और एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म दूसरे धर्म के अनुयायियों के लिए दयालु है, भले ही जीवन जीने के तरीके के रूप में वे हिंदू धर्म से अलग है।

वेदों, उपनिषदों, पुराणों और पवित्र सुधारकों के लेखन में विश्वास के लिए गांधी खुद को एक सनातनी (शास्त्रीय) हिंदू मानते थे। गांधी जी ने अपने विश्वास में एक चेतावनी जोड़ दी जब उन्होंने कहा कि शास्त्रों के नाम पर जो कुछ भी जाता है उसे प्रामाणिक मानने की जरूरत नहीं है। प्राचीन ग्रंथों की अपनी स्वीकृति में, गांधी ने नैतिकता के मूल सिद्धांतों को लागू किया और कहा कि उन्होंने धर्म के साथ आने वाली वैसी हर चीज को खारिज कर दिया जो नैतिकता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

मुख्य शब्द

सनातनी हिंदू गांधी

भूमिका

एक सनातनी हिंदू के रूप में, गांधी जी पंडितों द्वारा ग्रंथों की हठधर्मी व्याख्याओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थे। जब तक सामान्य हिंदू समाज उन्हें सनातनी हिंदू के रूप में स्वीकार करता है, गांधी जी ने कहा, वह ऐसा ही रहेगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आत्मा की अमरता, आत्मा का स्थानांतरण,

कर्म और मोक्ष का नियम और जो रोजमर्रा की जिंदगी में सत्य और अहिंसा (अहिंसा) का अभ्यास करने की कोशिश करता है, वह गो-रक्षा का अभ्यास करता है और कानून के अनुसार कार्य करता है। गांधी जी के अनुसार वर्ण-आश्रम हिंदू धर्म का अंग है।(यंग इंडिया,14.10.26, पृ.356 और 'द एसेन्स ऑफ हिंदुइज्म' पृ.3)। गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म में सत्य की अथक खोज होती है क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। एक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता है और फिर भी हिंदू हो सकता है यदि वह अहिंसक माध्यम से सत्य का अनुसरण करता है। (यंग इंडिया, 24.4.24, पृष्ठ.136)।

1924 और 1926 के यंग इंडिया में हिंदू के रूप में पहचाने जाने के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में भगवान में विश्वास के संदर्भ में गांधी द्वारा दिए गए बयानों में एक छोटा सा विरोधाभास दिखाई दे सकता है। गांधी ने इस विरोधाभास को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक हिंदू की पहली परिभाषा एक सामान्य परिभाषा थी और दूसरी एक विस्तृत परिभाषा थी। इसके अलावा, ईश्वर में विश्वास की अनुपस्थिति ही एक हिंदू को हिंदू होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराती है। (यंग इंडिया, 28.10.26, पृ.372)।

सत्य और अहिंसा प्रमुख सिद्धांत हैं। उनका अभ्यास एक व्यवस्थित समाज की ओर ले जाता है। भगवान में विश्वास करने के लिए हिंदू होने की योग्यता और किसी भी धार्मिक संप्रदाय के होने की आवश्यकता नहीं है। आप अल्लाह में विश्वास के बिना मुसलमान हो सकते हैं, भगवान में विश्वास के बिना ईसाई और भगवान या ईश्वर में विश्वास के बिना हिंदू हो सकते हैं।

'आत्मा' के अस्तित्व को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है और इसलिए इसकी अमरता या इसकी एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने की क्षमता और जन्म और मृत्यु से इसकी अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष है। कर्म का नियम अनिवार्य रूप से भाग्यवादी है और यह एक ऐसा दोष है जिसे दूर किया जाना चाहिए या साफ किया जाना चाहिए। कर्म की पहचान की जानी चाहिए और एक हिंदू व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के मुख्य कर्तव्यों में से एक वर्णों के पदानुक्रम पर चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण या व्यवसाय क्षैतिज और लंबवत रूप से गतिशील होने चाहिए और वर्णों की गतिशीलता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ।

हिंदुओं को गौ रक्षा से बंधने की जरूरत नहीं है। पशु संरक्षण भेदभावपूर्ण होना चाहिए और एक उपभोक्ता के लिए उपयोगितावादी होना चाहिए जो दूसरे के लिए उपभोग बन जाए। हालाँकि, मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति दयालु

होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो जानवरों के प्रति अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। गाय या भैंस जैसे बड़े जानवर का उपयोग उसके प्रजनन काल के दौरान उसके दूध के लिए किया जाता है। मानवता की सेवा करने वाले जानवर को छोड़ना या मारना अमानवीय और बर्बर है। पशु की मृत्यु होने पर, पशुओं की खाल के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका उपयोग चमड़ा उद्योग में एक इनपुट के रूप में किया जाता है। वर्ण-आश्रम प्रणाली के प्रस्तावक के रूप में गांधी की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है।

गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रस्तावक थे और वर्ण-आश्रम प्रणाली में विश्वास गांधी जी के अनुसार हिंदू होने के लिए एक प्रमुख योग्यता थी। हालाँकि, गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में आंतरिक लचीलापन था । गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में, एक शूद्र को अपने वंशानुगत कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यदि वह पुरोहित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है तो उसे अपने पूर्वजों के कर्तव्यों का त्याग या अस्वीकार किए बिना उन्हें पूरा करना चाहिए। गांधी जी की वर्णाश्रम प्रणाली की योजना के सभी वर्णों के लिए यह लचीलापन सही है।

एक ब्राह्मण हथियार उठाने और युद्ध की तकनीक सीखने या शूद्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वतंत्र था या उस मामले के लिए वैश्य के कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन अपने पुरोहित कर्तव्यों का पालन किए बिना नहीं। गांधी के लिए, वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित नहीं थी। सभी चार वर्ण समाज के लिए स्थिति और कार्यात्मक में समान थे। चार वर्णों को क्षैतिज और पारस्परिक रूप से बदलने योग्य रखा गया था। हालाँकि, वास्तव में वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित थी और सभी वर्णों पर धार्मिक और सामाजिक अक्षमताएँ थोपी गई थीं। सामाजिक संभोग के नियमों का पालन करने में विफल रहने पर समाज के चार गुना विभाजन में वर्ण की स्थिति के अनुपात में कठोर और अमानवीय दंड को आमंत्रित किया गया। गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी किसी भी चीज को खारिज कर दिया जो उनकी न्याय की भावना को आकर्षित नहीं करती या ऐसी कोई भी चीज जो अनुचित है।

गांधी के लिए, कठोर वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति द्वारा लगाई गई सामाजिक और धार्मिक अक्षमताएं स्वीकार्य नहीं थीं। गांधी का वर्णाश्रम सभी के लिए खुला था और इसलिए आलोचना मान्य नहीं है। वर्णाश्रम प्रणाली प्रारंभिक वैदिक युग (2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व) में अस्तित्व में आई। इसमें चार वर्ण (व्यवसाय) शामिल हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और चार आश्रम या जीवन के चार चरण जिनमें से प्रत्येक में 25 वर्ष हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम से शुरू होता है जिसमें एक व्यक्ति से ब्रह्मचर्य और कौशल हासिल करने की उम्मीद की जाती है। और शिक्षा को रोजगार योग्य

बनाया जाए। इसके बाद गृहस्थारम होता है जिसमें एक व्यक्ति एक घर प्राप्त करता है, शादी करता है और बच्चे पैदा करता है। जीवन का 50वां वर्ष पूरा होने पर, एक व्यक्ति के वानप्रस्थरम में प्रवेश करने या अगले 25 वर्षों तक जंगलों में रहने की उम्मीद की जाती है। एक अवधि जिसके दौरान, एक व्यक्ति से ध्यान और ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। जीवन के अंतिम 25 वर्ष संन्यासाश्रम में बिताने हैं।

यह एक व्यक्ति के जीवन में वह चरण है जहां वह एक संन्यासी या एक व्यक्ति बन जाता है जिसने सब कुछ त्याग दिया है और एक भिक्षुक का जीवन जीता है। संन्यासी से लोगों को अर्जित ज्ञान और ज्ञान देने की उम्मीद की जाती है। अपने मूल रूप में, प्रणाली में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गतिशीलता थी। यह कर्तव्यों के संदर्भ में श्रम विभाजन और जीवन विभाजन का भारतीय संस्करण था। वर्ण-व्यवस्था आज की वर्ग व्यवस्था के समान थी। हालांकि, प्रणाली बंद और कठोर हो गई और बाद के वैदिक युग (1500 ईसा पूर्व से 500 एसीई) के दौरान जाति व्यवस्था में बदल गई, एक अवधि जिसके दौरान मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र लिखा गया था।

केपी शंकरन ने 'गांधी और वर्ण प्रश्न' शीर्षक वाले एक लेख में, इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 25 फरवरी 2019 में कहा कि गांधी ने कभी भी वर्ण धर्म का अभ्यास नहीं किया और उनके आश्रम वर्ण धर्म (कठोर जाति आधारित वर्ण धर्म से मुक्त) से मुक्त थे। शंकरन कहते हैं कि गांधी की स्वराज की अवधारणा भी धर्म और जाति से मुक्त थी। हालांकि, गांधी ने वर्णाश्रम प्रणाली का लगातार बचाव किया (जैसा कि पहले बताया गया है) जो गैर-श्रेणीबद्ध था और सिद्धांत पर आधारित था "हम वह नहीं बनना चाहते जो हर कोई नहीं हो सकता", एक सिद्धांत जो अनाशक्ति योग या गैर-लगाव का प्रतीक था।

अनाशक्ति योग का दर्शन भगवद्गीता में सन्निहित है। महात्मा अनाशक्ति योग के दर्शन के अनुयायी और समर्थक थे। गांधी का मानना था कि किसी को पेशे की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस परंपरा के अनुसार अभ्यास करने के लिए अभ्यास करना चाहिए जिसमें वह पैदा हुआ है। एक घृणित प्रथा के रूप में अस्पृश्यता, जो पतित वर्ण व्यवस्था का एक हिस्सा थी, का भगवद् गीता या अन्य शास्त्रों में कोई आधार नहीं था। गांधी ने अस्पृश्यता की प्रथा को खारिज कर दिया था और पूर्ववर्ती अछूतों को 'हरिजन' या भगवान के लोगों के रूप में फिर से नाम दिया था।

1933 तक, वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों में बेहतरी के लिए बदलाव आया। गांधी जी ने इस तर्क को स्वीकार किया कि केवल जन्म ही किसी व्यक्ति के वर्ण को निर्धारित नहीं कर सकता है और महाभारत के वानपर्व में युधिष्ठिर के शब्दों को उद्धृत करता है: *"सत्य, दान, क्षमा, अच्छा आचरण, नम्रता, तपस्या और दया, जहां ये देखे जाते हैं, हे राजा - यदि ये चिन्ह शूद्र में हैं और द्विज में नहीं हैं, तो शूद्र शूद्र नहीं है, न ही ब्राह्मण ब्राह्मण है।*

गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था में अपने विश्वास को यह कहकर सुधार दिया कि "केवल जन्म का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति को जन्म से अपना दावा स्थापित करने के लिए संबंधित कार्यों और चरित्र को दिखाना चाहिए ।" हालाँकि, महाभारत वर्णों के गुण-आधार पर सुसंगत नहीं है। 'द्रौपदी-स्वयंवर' प्रकरण में, कर्ण को वर्ण पदानुक्रम में निम्न स्थान के कारण भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। एकलव्य के बारे में भी यही सच है, जिसकी तीरंदाजी की कला की कोई सीमा नहीं थी। द्रोणाचार्य, पांडवों के शिक्षक, गुरु-दक्षिणा के रूप में एकलव्य की अंगूठे की उंगली मांगने या शिक्षक की सेवाओं के लिए भुगतान करने में अन्यायपूर्ण थे, जबकि उन्होंने वास्तव में एकलव्य को कुछ भी नहीं सिखाया था।

वर्ण व्यवस्था के संबंध में महाभारत की द्विपक्षीयता इस तथ्य को साबित करती है कि प्राचीन भारतीय समाज ने केवल निर्धारित स्थिति को ही मान्यता दी थी और बड़े पैमाने पर एक ऐसे व्यक्ति की प्राप्त स्थिति को नजरअंदाज कर दिया था जो पदानुक्रम में कम पैदा हुआ था।

आज जो जाति व्यवस्था है वह निस्संदेह एक बदनाम और घृणित व्यवस्था है। यह देश के कुछ हिस्सों में और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में, अपवादों को छोड़कर, दण्ड से मुक्ति और प्रतिरक्षा के साथ घृणित तरीके से अभ्यास करना जारी रखता है। वर्ण-आश्रम प्रणाली अपने मूल रूप में प्राचीन काल की शास्त्रीय प्रतिभा का एक नमूना थी। भारत में लोगों को जाति व्यवस्था को दूर करने की जरूरत है।

पहचान दस्तावेजों में जाति के लिए स्थान को समाप्त करने की आवश्यकता है और नीच प्रणाली के सभी अवशिष्ट निशान को हटाने के लिए उपनामों के उपयोग को समाप्त करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति की पहचान केवल उसके नाम से की जानी चाहिए, उसके बाद माता और पिता के नाम से। सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा सकारात्मक कार्रवाई आय जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए

जो एक मात्रात्मक मानदंड है। किसी व्यक्ति के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए कोई गुणात्मक मानदंड विकसित कर सकता है। हालांकि, जाति को ऐसे मानदंडों की सूची में जगह नहीं मिलनी चाहिए।

गांधी जी सनातन परंपरा के दार्शनिक

गांधी जी ने ऐतिहासिक हिंदू धर्म और गीता के हिंदू धर्म के बीच अंतर किया। ऐतिहासिक हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, स्टॉक और पत्थरों की अंधविश्वासी पूजा, पशु बलि आदि की विशेषता है। गीता का हिंदू धर्म, उपनिषद और पतंजलि के योगसूत्र अहिंसा और सभी सृष्टि की एकता के शिखर का गठन करते हैं, एक की शुद्ध पूजा, निराकार और अविनाशी भगवान। गांधी का मानना था कि अहिंसा या अहिंसा हिंदू धर्म का गौरवशाली पहलू है और इसका पालन सभी को करना चाहिए, न कि केवल संन्यासियों को। (हरिजन, 08.12.46, पृ. 432 और 'द एसेन्स ऑफ हिंदुइज्म', पृ.4)। भगवद् गीता महाभारत के भीष्म पर्व (अध्याय 23 - 40) में प्रकट होती है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। महाभारत महाभारत के लोगों के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है, 'सर्व-शक्ति सम-भाव'। यह भेदभावपूर्ण है और भगवद् गीता एक भेदभावपूर्ण महाकाव्य का हिस्सा है। जन्म से वर्ण-लेखन हिंदू सामाजिक पदानुक्रम का एक दोष है और जब तक इस दोष को दूर नहीं किया जाता है, तब तक हिंदू लोगों को धर्मनिरपेक्ष हिंदू ग्रंथों की पेशकश करना मुश्किल होगा, जो सामाजिक रूप से भेदभाव और हाशिए पर थे। हिंदू धर्म के दोषों को भारत के लोगों तक पहुंचाने से पहले, ऐतिहासिक और अन्यथा, दूर करने की आवश्यकता है।

गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म प्रकृति के नियमों के अधीन है। हिंदू धर्म की जड़ें एक हैं और अविभाज्य हैं और इन वर्षों में इसने कई पंथ या शाखाएं विकसित की हैं। हालाँकि, इन पंथों या शाखाओं को जड़ों से अलग नहीं किया जा सकता है।

हिंदू धर्म केवल शास्त्रों पर आधारित नहीं है इसके कई और स्रोत हैं। गीता एक ऐसा स्रोत है जो कर्मकांडों और रीति-रिवाजों को प्रभावित किए बिना रास्ता दिखाती है। गांधी जी ने हिंदू धर्म की तुलना गंगा से की, जो उन क्षेत्रों में प्रांतीय चरित्र ग्रहण करती है जिसमें वह बहती है। गांधी कहते हैं कि रीति-रिवाज और कर्मकांड धर्म का गठन नहीं करते हैं।

हिंदू धर्म के शास्त्रीय ग्रंथ जैसे शास्त्र, वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण और इतिहास अलग-अलग समय में सामने आए और इसलिए यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म एक स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील धर्म है। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ अपने समय में सामना की गई चुनौतियों के जवाब में सामने आया और इसलिए वे एक दूसरे के साथ परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। ये ग्रंथ शाश्वत सत्यों को नए सिरे से नहीं बताते हैं, बल्कि केवल यह दिखाते हैं कि इन शाश्वत सत्यों का उनके समय में अभ्यास किया गया था। एक निश्चित अवधि में एक अभ्यास अच्छा हो सकता है।

गांधी जी का कहना है कि पशु बलि, कानून तोड़ने वालों, बहुपतित्व, छुआछूत और बाल विवाह की प्रथा को बनाए रखने या पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान असीम है और सत्य हमेशा सामने आता है। स्वयं को जानने से मनुष्य ब्रह्मांड को जान सकता है। सत्य की अंतहीन खोज यम (मुख्य गुण) और नियम (अनौपचारिक गुण) के अभ्यास पर आधारित है। योगशास्त्र के अनुसार, मुख्य गुण अहिंसा (अहिंसा), सत्य (सत्य), अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्य), अपरिग्रह (अपरिग्रह) और आकस्मिक गुण हैं शौचा (शारीरिक शुद्धता), संतोष (संतोष), तपस (सहनशीलता), स्वाध्याय (शास्त्रों का अध्ययन) और ईश्वर प्रणिधान ।

श्रद्धा और भक्ति के बिना सत्य की खोज संभव नहीं है। हालाँकि, विश्वास और भक्ति का उपयोग मनुष्य द्वारा सत्य की खोज में उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति असत्य के प्रति वफादार या असत्य के प्रति समर्पित नहीं हो सकता है। गांधी कहते हैं कि एक सनातनी हिंदू वह है जो हृदय से भागवत (नमो भगवते वासुदेवाय) से द्वादशमंत्र का जाप कर सकता है। द्वादश का अर्थ है बारह स्तोत्र (भजन) जो भगवान विष्णु की स्तुति में गाए जाते हैं।

ओम' एक शाश्वत, सार्वभौमिक ध्वनि है और इसे शब्द ब्रह्म, वाक् ध्वनि का अंतिम सिद्धांत कहा जाता है। यह सर्वोच्च आत्मा को दर्शाता है। 'नमो' एक विनम्र अभिवादन है। 'भागवते' सर्वोच्च देवत्व है, जिसे आम तौर पर भगवान के रूप में जाना जाता है। ' वासुदेवाय ' का शाब्दिक अर्थ है 'वासुदेव का पुत्र' और भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है, जो वासुदेव के पुत्र थे । 'वसु' का अर्थ 'वह, जो सभी प्राणियों की जीवन शक्ति है' और ' दिव्य सर्वशक्तिमान है। इसलिए 'वासुदेवाय' का अर्थ 'सर्व जीवन में रहने वाली सर्वोच्च देवत्व'। इस प्रकार मंत्र को विस्तृत किया जासकता है जिसका अर्थ है 'हे भगवान कृष्ण, वासुदेव के पुत्र, भगवान जो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, मैं आपको पूरी श्रद्धा के साथ नमन करता हूं और अपनी विनम्र प्रार्थना करता हूं।' गांधी ने पहले कहा था कि एक हिंदू को भगवान में

विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और उस कथन के अनुरूप, कोई व्यक्ति मंत्र का जाप कर सकता है या नहीं और फिर भी एक सनातनी हिंदू हो सकता है।

गांधी जी का मानना था कि वर्ण-आश्रम दुनिया के लिए हिंदू धर्म का एक अनूठा योगदान था। गांधी जी रोजमर्रा के हिंदू धर्म को शुद्ध हिंदू धर्म से अलग करते हैं।

मनुष्य का भौतिक शरीर उस आत्मा की एक सीमा है जिसमें वह निवास करता है। हिंदू धर्म में निहित आध्यात्मिकता ने हिंदू जीवन शैली को पृथ्वी पर पैदा हुई अन्य सभी सभ्यताओं को मात देने में मदद की। बेबीलोनियाई, सीरियाई, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं को इतिहास में बहुत पहले दफनाया दिया गया और हिंदू सभ्यता जीवित रही क्योंकि यह अध्यात्मवाद में निहित है। गांधी का मानना था कि भौतिकवादी सभ्यताओं का जीवनकाल कम होता है और आध्यात्मिक सभ्यताएं तब तक चलती हैं जब तक मानवता पृथ्वी पर समृद्ध होती रहती है। (यंग इंडिया, 24.11.27, पृ.396 और 'द एसेन्स ऑफ हिंदुइज्म', पीएस. 7-9)।

गांधी जी का मानना था कि अपने धर्म के प्रति वफादार होने के साथ-साथ कमियों से सावधान रहना होगा और सीमाओं को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। साथ ही दूसरे धर्मों को अपने से हीन या श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। बल्कि दूसरे धर्मों की सुंदरता को देख कर अपने में समाहित कर लेना चाहिए। इसलिए गांधी का मानना था कि धर्म को विकसित होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए। एक विकसित धर्म स्थिर नहीं रह सकता, वह हमेशा दूसरों से वह सब कुछ देगा और लेगा जो अपने आप में अच्छा है। (हरिजन, 12.8.33, पृष्ठ 4 और 'हिन्दुत्व का सार', पृ.10)।

गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म का मुख्य मूल्य यह है कि यह सभी जीवन को एक के रूप में रखता है अर्थात सभी जीवन एक सार्वभौमिक स्रोत से आता है। स्रोत के अलग-अलग नाम हो सकते हैं जैसे कि अल्लाह, ईश्वर या परमेश्वर, लेकिन स्रोत एक है। गांधी जी का मानना था कि ईश्वर एक है और उसके कई नाम हो सकते हैं जैसा कि विष्णुसहस्रनाम या विष्णु (भगवान) के हजार नामों नामक हिंदू ग्रंथ में वर्णित है ।

गांधी जी का मानना था कि मोक्ष केवल मनुष्यों का निजी संरक्षण नहीं है और अन्य जीव भी मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम हैं और इसलिए मनुष्य निर्माता या स्वामी नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन का सिर्फ एक रूप है। मोक्ष का आदर्श मानवीय आवश्यकताओं की सीमा निर्धारित करता है और इसलिए संसाधनों का शोषण करता है। मोक्ष 'असीमित मानव आवश्यकताओं' का विरोधी है। गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म भोग और चाहतों के गुणन में विश्वास नहीं करता है। उसके लिए, भौतिक चाहतों की नासमझ खोज केवल मनुष्य के सार्वभौमिक स्व के साथ मिलन को रोकेगी। (हरिजन, 26.12.36, पृ.364 और तेह, पृ.11)।

वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण और महाकाव्य हिंदू धर्मग्रंथ हैं और शास्त्रों का यह महासागर अनंत काल की स्थिति में है क्योंकि पीढ़ियां और युग बीतते हैं, वे इस महासागर में कुछ और बूंदें जोड़ते हैं। इसलिए शास्त्रों की सूची अनंत हो जाती है। गांधी का मानना है कि जो कुछ भी तर्क के लिए आकर्षक नहीं है, उसे अकारण अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, वह शास्त्रों का हिस्सा नहीं हो सकता। स्मृतियों में बहुत कुछ है जिसे ईश्वर के वचन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और वे विचार प्रामाणिक नहीं हैं। ईश्वर के वचन के रूप में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसे तर्क से परखा नहीं जा सकता। यहां तक कि शास्त्रों का सबसे साफ-सुथरा संस्करण भी व्याख्या से बच नहीं सकता है।

हालाँकि, गांधी जी विद्वान पुरुषों और महिलाओं की व्याख्या पर नहीं बल्कि संतों और संतों के अनुभवों और उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। हालाँकि, आधुनिक दुनिया में इस शब्द के शास्त्रीय अर्थ में कोई संत और द्रष्टा नहीं हैं। इसलिए, शास्त्रों को उनकी वैधता और उपयोगिता - भौतिक और आध्यात्मिक, बुद्धि और तर्क के पुरुषों और महिलाओं द्वारा ही परखा जा सकता है।

गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म और जाति के बीच कोई संबंध नहीं है। जाति एक प्रथा है जिसका धर्म में कोई आधार नहीं है। गांधी का मानना था कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के

लिए हानिकारक है। वर्ण और आश्रम का जाति से कोई सरोकार नहीं है। वर्ण पैतृक व्यवसाय है जिसका पालन हममें से प्रत्येक को अपनी रोटी कमाने के लिए करना पड़ता है।

वर्ण कर्तव्य प्रदान करता है अधिकार नहीं। गांधी जी का मानना था कि व्यावसायिक वितरण की वर्ण व्यवस्था समाज के लिए कार्यात्मक थी। गांधी के अनुसार व्यवसाय पदानुक्रमित नहीं थे और श्रम के फल व्यक्ति द्वारा अनुसरण किए जाने वाले वर्ण या व्यवसाय के बावजूद समान थे। किसी भी वर्ण द्वारा किसी अन्य पर श्रेष्ठ स्थिति का अहंकार वर्ण के कानून का खंडन है और अस्पृश्यता का अभ्यास वर्ण के कानून से असंबंधित है। गांधी के ईश्वर निराकार थे और धर्म अध्यात्म का वाहन करते थे।

गांधी जी का मानना था कि सभी वर्ण समान थे और सभी एक दूसरों के कौशल सीखने के लिए स्वतंत्र थे। वर्णाश्रम आत्म-संयम है और ऊर्जा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। यह विशेषज्ञता की अवधारणा का हिंदू संस्करण है जो 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ आया था। नशीले पदार्थों और मांस से परहेज आत्मा के विकास में सहायता करता है लेकिन यह अपने आप में एक अंत नहीं है। गोरक्षा हिंदू धर्म का केंद्र है। हालांकि, जो गाय की रक्षा के लिए एक इंसान को मारता है वह हिंदू नहीं है।

हिंदुओं को तपस्या, आत्म शुद्धि और आत्म-बलिदान से गाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों को अपने प्यार से जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी ने मूर्ति पूजा को मनुष्य के लिए स्वाभाविक माना, हालांकि मूर्तियों ने उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि छवियां पूजा करने में सहायक होती हैं। गांधी का मानना था कि हिंदू धर्म आत्मसात करता है धर्मांतरण नहीं। उन्होंने महसूस किया कि छुआछूत की प्रथा घृणित और अतिशयोक्तिपूर्ण थी और उन्होंने पशु बलि, देवदासी प्रणाली आदि जैसी सभी बुरी प्रथाओं को खारिज कर दिया। एक धर्म जो गौ रक्षा और पूजा का अभ्यास करता है, उसे अस्पृश्यता का अभ्यास करने की कल्पना नहीं की जा सकती है। गांधी कहते हैं, "आइए हम अपनी जाति के पांचवें हिस्से को समानता के अधिकार से वंचित करके भगवान से इनकार न करें।" (यंग इंडिया, 6/10/21 और तेह, पीएस 30 से 36)।

निष्कर्ष

गांधी जी खुद को एक सनातनी हिंदू होने का दावा करते हैं। उनके लिए, हिंदू धर्म की विशिष्ट विशेषता गौ पूजा थी और गाय की रक्षा प्रत्येक हिंदू का सर्वोच्च कर्तव्य था। वह ब्राह्मणों द्वारा गाय की बलि और गोमांस खाने के वैदिक संदर्भों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि इन संदर्भों को शाब्दिक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने खुद को एक सनातनी हिंदू कहा, क्योंकि वे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, अवतार (अवतार) और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे वर्णाश्रम के नियम को वैदिक अर्थों में गोरक्षा और मूर्ति पूजा के रूप में मानते थे।

गांधी जी का मानना था कि सभी धार्मिक ग्रंथ दैवीय रूप से नियुक्त हैं। हालाँकि, गांधी जी सभी संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथों को तर्क और नैतिकता के परीक्षण के अधीन करने में विश्वास करते थे और इस बात पर जोर देते थे कि जो कुछ भी तर्क और नैतिक भावना के प्रतिकूल है उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। जिसने अहिंसा, सत्य , ब्रह्मचर्य और त्याग में पूर्णता प्राप्त नहीं की है, वह शास्त्रों को सही अर्थों में नहीं समझ पाएगा। वर्ण या व्यवसाय वंशानुगत थे और उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। गांधी के अनुसार वर्णों का कई जातियों में विभाजन अनुचित है। गांधी का मानना था कि व्यवसायों का चौगुना वर्गीकरण पर्याप्त था। उन्होंने महसूस किया कि अंतर-भोजन और अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध अनुचित थे। जबकि प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य दिए गए हैं, वर्णों के बीच एक पदानुक्रम नहीं हो सकता है।

सन्दर्भ:

1. एमके गांधी, 'द एसेन्स ऑफ हिंदुइज्म' (खंड-I, 'द मोरल बेसिस ऑफ हिंदुइज्म'), वीबी खेर द्वारा संकलित और संपादित, एनबीएच अहमदाबाद 1987, पृष्ठ 1-37।
2. आस्को परपोला, 'द रूट्स ऑफ हिंदुइज्म' ओयूपी 2015, पृ.3.
3. केपी शंकरन, 'गांधी और वर्ण प्रश्न', इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 25 फरवरी 2019
4. ध्र धर्म-पोसन्याओ: पाणिनि-धातुपथ। देखें बी. होल्ड्रेगे, इन एस. मित्तल, और जी. थर्सबी (सं.) *द हिंदू वर्ल्ड*/ (न्यूयॉर्क: रूटलेज, 2005), पृ.213।
5. आर प्रसाद, पुरुषार्थ का सिद्धांत: पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्माण। *जर्नल ऑफ इंडियन फिलॉसफी* 9, (1981), पीपी 57-59।
6. एजे परेल, गांधीज *फिलॉसफी एंड द क्वेस्ट फॉर हार्मनी* (नई दिल्ली: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006), पीपी। 87, 99, और 117।

7. एम के गांधी, (1958-1994)। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (इसके बाद, सीडब्ल्यू), (नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग), वॉल्यूम। 59

8. एमके गांधी, एन ऑटोबायोग्राफी या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महादेव देसाई द्वारा अनुवादित (अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस)। वी.आर. हावर्ड, गांधीज एसेटिक एक्टिविज्म: रेनैसेशन एंड सोशल एक्शन (अल्बानी: यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस; 2013), पी। 217

9. एस. चौबे, एन.जी.पी.पेंडसे, और एन. शुक्ला (सं.), भारत में आर्थिक सुधार: आवश्यकता, प्रयास और सुझाव (नई दिल्ली) में पी. शुक्ला, "पुरुषार्थों की अवधारणा और मानव विकास के लिए स्वैच्छिक सुधार उपाय: गांधीवादी परिप्रेक्ष्य," : सरूप एंड संस प्रकाशन, 2005), पीपी.277-290।

10.